



140

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12098 पुनरावलोकन (रिब्यु) - 12092 2333-PBR/14

हेमा बिबेदी पुत्री रामप्रकाश बिबेदी,
निवासिनी वल्लभ नगर, लखर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

----- प्राथिनी

बिराह्य

१- मध्यप्रदेश शासन

२- राघारानी पत्नी मोतीलाल चौरसिया,
निवासी ग्राम विलावा, तेहसील डबरा, जिला
ग्वालियर (मध्यप्रदेश) ।

----- प्रतिप्राथिगण

पुनरावलोकन आवेदन पत्र बिराह्य आदेश माननीय राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर (पीठासीन अधिकारी) श्री स्वदीप सिंह, अध्यक्ष
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर दिनांकी २४-६-९४, अन्तर्गत धारा ५१
मध्यप्रदेश मूर राजस्व संहिता, १९५६ । प्र०क्र० ३१७६-पीवीआर। २०९३
निगरानी ।

श्री ३२४० के. कावय्या
द्वारा आज दि. 31-7-14 को
प्रस्तुत
३२३
केलक ऑफिस दि. 7-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

३२३
31/6/98

17/10/14

Handwritten signature

54

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2333-पीबीआर/2014

जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-3-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0अवस्थी उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से शा0अधि0श्री प्रखर डेंगूला उपस्थित । अनोवदक क्रमांक 2 की ओर से श्री जगदीश श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें रिव्यु पर सुना गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 3179-पीबीआर/2013 में पारित आदेश दिनांक 24-6-2013 विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसमें हेमा द्विवेदी पुत्री रामप्रकाश द्विवेदी निवासी बलवन्त नगर ग्वालियर को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-6-2013 निरस्त किया जाता है । यह पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी 3179-पीबीआर/2013 पुनः नम्बर पर लिया जाकर हेमा द्विवेदी पुत्री रामप्रकाश द्विवेदी निवासी बलवन्त नगर ग्वालियर को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाया जाता है तथा उक्त प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये नियत किया जाये ।</p>	<p>अध्यक्ष</p>